

बजट आवंटन आदेश- 1

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-28 **Voluntary Relocation of Villages from Protected Areas** के क्रम में आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-789-05-01-12

2406- Forest & wildlifie

04-Afforestation and Ecology Development

789- Anusuchit Jatiyon ke Liye Vishisht Sanghatak Yojna

(05)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

APO Item No. 28 : Voluntary Relocation of Villages from Protected Areas					
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Activity	बजट आवंटन		विशेष विवरण
			Unit Cost	Amount to be Alloted (Rs. In Lakh)	
1	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. बाघ परियोजना सरिस्का अलवर	Voluntary Relocation of Villages from Protected Areas	LS	19.11000	अ.प्र.मु.व.सं एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर के पत्रांक 370 दिनांक 06.05.2022
2	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली		LS	5.89000	
योग				25.00000	

सामान्य शर्तें:

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर के कार्यालय के आदेश क्रमांक 7206 दिनांक 05.02.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (Guidelines) की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 2 कैम्पा मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य संबंधित वन मण्डल द्वारा प्रेषित ए.पी.ओ. 2022-23 के प्रपोजल में दर्शाये स्थानों अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा/VPFMC/EDC से सहमति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 5 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा, Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 6 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 7 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 8 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 9 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।

- 10 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड **Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule** एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 11 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 12 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेख संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 13 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 14 कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।
- 15 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 16 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
- 17 वन्यजीव क्षेत्रों में कराये जाने वाले सिविल कार्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हो।

(^{Shikha} शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

o/c

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 2886-94

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 16/05/2022

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - वन्य जीव बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/बाघ परियोजना सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. बाघ परियोजना सरिस्का अलवर /उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

o/c